सोशल सेक्योरिटी भत्ता योजना

सोशल सेक्योरिटी भत्ता (SSA) योजना जिसका संचालन समाज कल्याण विभाग (SWD) द्वारा किया जाता है इसमें वृद्धावस्था भत्ता, सामान्य विकलांगता भत्ता, अधिक विकलांगता भत्ता, सामान्य वृद्धावस्था जीविका भत्ता, अधिक वृद्धावस्था जीविका भत्ता, ग्वांगडोंग योजना और फुजियन योजना शामिल हैं।

SSA योजना अंशदायीतर योजना है। वृद्धावस्था भत्ता और विकलांगता भत्ता हांगकांग के उन निवासियों को मासिक तौर पर दिया जाता है जो क्रमशः 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के हों या जो गंभीर तौर पर विकलांग हों ताकि वृद्धावस्था या विकलांगता से उत्पन्न उनकी विशेष जरूरतों को पूरा किया जा सके। सामान्य वृद्धावस्था जीविका भत्ता और अधिक वृद्धावस्था जीविका भत्ता हांगकांग के उन निवासियों को रोज़ाना खर्च में सहायता के लिए वित्तीय समर्थन के तौर पर दिया जाता है जिनकी आयु 65 वर्ष या उससे अधिक हो। ग्वांगडोंग योजना और फुजियन योजना में वृद्धावस्था भत्ता, सामान्य वृद्धावस्था जीविका भत्ता और अधिक वृद्धावस्था जीविका भत्ता शामिल हैं जिनके जरिए हांगकांग के उन पात्र निवासियों को मासिक भत्ता दिया जाता है जो क्रमशः ग्वांगडोंग (केवल ग्वांगडोंग योजना पर लागू) या फुजियन (केवल फुजियन योजना पर लागू) में रहना चाहता हैं।

SSA योजना के तहत (ग्वांगडोंग योजना और फुजियन योजना के तहत वृद्धावस्था भत्ता सहित) विकलांगता भत्ता और वृद्धावस्था भत्ता के आवेदकों के लिए साधन परीक्षा से गुज़रने की ज़रूरत नहीं होती है।

पात्रता मानदंड

SSA योजना के तहत व्यक्ति भत्ते का पात्र तब होता है यदि:

(क) वह आवास की निम्नलिखित जरूरतों को पूरा करता हो:

(1) वह कम-से-कम सात वर्ष से हांगकांग का निवासी होना चाहिए; और

(2) जिस तारीख को आवेदन किया गया है, उसके ठीक पहले कम-से-कम एक साल से लगातार हांगकांग में रह रहा होना चाहिए (इस एक वर्ष की समयावधि के दौरान अधिकतम 56 दिन तक हांगकांग में न रहने पर भी आवेदनकर्ता को हांगकांग निवासी ही माना जाएगा)।

ध्यान दें:

(i) वे व्यक्ति, जिनकी हांगकांग में उपस्थिती अवैधानिक है या जिन्हें स्थाई निवास के बजाय किसी अन्य उद्देश्य से हांगकांग में रहने की अनुमति मिली हुई है (उदाहरण के लिए आयातित मजदूर या पर्यटक) SSA योजना में शामिल नहीं किए जाएंगे।

(ii) अक्षमता भत्ते के लिए आवेदन करने वाले 18 वर्ष से कम आयु के हांगकांग निवासी उपरोक्त आवासीय शर्तों (1) और (2) से मुक्त होंगे।

(iii) कोई आवेदक आवेदन-तिथि से ठीक एक वर्ष पहले से हांगकांग में रह रहा है या नहीं, यह निर्धारित करने में इस एक वर्ष की अवधि में पूर्णकालिक अध्ययन के कारण अनुपस्थित रहने वालों (केवल विकलांगता भत्ता आवेदक) या धन कमाने के लिए हांगकांग से बाहरनौकरी करने वालों के आवेदन पर भी विचार किया जा सकता है, बशर्ते वें प्रमाण के रूप में आवश्यक पर्याप्त दस्तावेज उपलब्ध करवा सकें। अगर कोई हांगकांग निवासी इस एक वर्ष की अवधि में हांगकांग से बाहर चिकित्सकीय उपचार प्राप्त करने के कारण 56 दिन से अधिक हांगकांग में नहीं रहता, तो समाज कल्याण विभाग के निदेशक मौजूदा 56 दिन की सीमा को नजरअंदाज कर अपने अधिकार का उपयोग करते हुए उसका आवेदन स्वीकार कर सकते हैं।

(iv) हांगकांग से अनुपस्थिति का मतलब है हांगकांग को छोड़कर मेनलैंड, मकाउ या विदेशी देशों/क्षेत्रों में जाना।

(ख) वह भुगतान प्राप्ति के दौरान हांगकांग (केवल वृद्धावस्था भत्ता/विकलांगता भत्ता/वृद्धावस्था जीविका भत्ता पर लागू)/ग्वांगडोंग (केवल ग्वांगडोंग योजना पर लागू)/फुजियन (केवल फुजियन योजना पर लागू) में रह रहा हो;

(ग) वह व्यक्ति, जो SSA योजना के तहत किसी अन्य भत्ते या विस्तृत सामाजिक सुरक्षा सहायता योजना के अंतर्गत किसी सहायता को प्राप्त नहीं कर रहा हो;

(घ) आवेदक न्यायिक हिरासत या किसी दण्डकारी संस्था में अपराधी के तौर पर नहीं होना चाहिए; और

(ङ) व्यक्तिगत भत्ते के लिए आवश्यक निम्न पात्रता मापदंड को पूरा करता हो:

(1) वृद्धावस्था भत्ता

- उसकी आयु 70 वर्ष या इससे अधिक है

(2) सामान्य विकलांगता भत्ता

- स्वास्थ्य निदेशक या अस्पताल प्राधिकरण के ,मुख्य कार्यकारी अधिकारी (अपवाद परिस्थितियों में किसी निजी अस्पताल के पंजीकृत चिकित्सक द्वारा) यह प्रमाणित किया गया हो कि आवेदन करने वाला व्यक्ति गंभीर रूप से अक्षम है; और
- कम-से-कम छह महीने तक वह अक्षम रहेगा।

(3) उच्चतर विकलांगता भत्ता

- उपरोक्त सामान्य अक्षमता भत्ते के पात्रता मानदंड को पूरा करने के साथ ही, स्वास्थ्य निदेशक या अस्पताल प्राधिकरण (या अपवाद परिस्थितियों में किसी निजी अस्पताल के पंजीकृत चिकित्सक) द्वारा यह प्रमाणित किया जाना चाहिए कि उस महिला या पुरुष को अपने दैनिक कार्यो के लिए लगातार अन्य लोगो की सहायता की अवश्यकता है; और
- उसे व्यक्ति की किसी सरकार द्यारा सबसिडी प्राप्त आवासीय संस्था (जिसमें Bought Place योजनाओं के तहत अनुदान प्राप्त/अनुबंध घरों और आवासीय केयर घरों में सबसिडी प्राप्त स्थान शामिल है) या अस्पताल प्राधिकरण के तहत सभी सार्वजनिक अस्पतालों और संस्थाओं में देखभाल, या शिक्षा ब्यूरो के तहत विशेष स्कूलों में बोर्डिंग प्राप्त नहीं होती हो।

(4) सामान्य वृद्धावस्था जीविका भत्ता

- उसकी आयु 65 वर्ष या उससे अधिक है; और
- उसकी और उसकी पत्नी/पति/सह-आवास पार्टनर (यदि लागू हो) पेज 5 पर नोट देखें की मासिक आय और संपत्ति निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है।

(5) अधिक वृद्धावस्था जीविका भत्ता

- उसकी आयु 65 वर्ष या उससे अधिक है; और
- उसकी और उसकी पत्नी/पति/सह-आवास पार्टनर (यदि लागू हो) पेज 5 पर नोट देखें की मासिक आय और संपत्ति निर्धारित सीमा से अधिक <u>नहीं</u> है।

(6) ग्वांगडोंग योजना

- वह ग्वांगडोंग निवासी है;
- यदि वह हांगकांग में सार्वजनिक किराए के घर में किराएदार के तौर पर रहने के लिए अधिकृत है, तो उसे हांगकांग छोड़ने से पहले सार्वजनिक किराए के घर को छोड़ना होगा या किराएदारी में से अपना नाम हटाना होगा; और
- वह वृद्धावस्था भत्ता/वृद्धावस्था जीविका भत्ता के लिए पात्रता मानदंड पूरे करता है:

  (i) वृद्धावस्था भत्ता

  - उसकी आयु 70 वर्ष या उससे अधिक है

  (ii) सामान्य वृद्धावस्था जीविका भत्ता/अधिक वृद्धावस्था जीविका भत्ता

  - उसकी आयु 65 वर्ष या उससे अधिक है; और
  - उसकी और उसकी पत्नी/पति/सह-आवास पार्टनर (यदि लागू हो) पेज 5 पर नोट देखें की मासिक आय और संपत्ति निर्धारित सीमा से अधिक <u>नहीं</u> है।

(7) फुजियन योजना

- वह फुजियन निवासी है;
- यदि वह हांगकांग में सार्वजनिक किराए के घर में किराएदार के तौर पर रहने के लिए अधिकृत है, तो उसे हांगकांग छोड़ने से पहले सार्वजनिक किराए के घर को छोड़ना होगा या किराएदारी में से अपना नाम हटाना होगा; और
- वह वृद्धावस्था भत्ता/वृद्धावस्था जीविका भत्ता के लिए पात्रता मानदंड पूरे करता है:

  (i) वृद्धावस्था भत्ता

  - उसकी आयु 70 वर्ष या उससे अधिक है

  (ii) सामान्य वृद्धावस्था जीविका भत्ता/अधिक वृद्धावस्था जीविका भत्ता

- उसकी आयु 65 वर्ष या उससे अधिक है; और
- उसकी और उसकी पत्नी/पति/सह-आवास पार्टनर (यदि लागू हो) पेज 5 पर नोट देखें की मासिक आय और संपत्ति निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है।

ध्यान दें: यदि आवेदक की वैवाहिक स्थिति "कभी भी शादीशुदा नहीं", "अलग", "तलाक़शुदा" या "विधवा/विधुर" है, तब उसे केवल अपनी स्वयं की आय और संपत्ति का व्यक्तिगत विवरण और जानकारी देने की ज़रूरत है। यदि आवेदक की वैवाहिक स्थिति "शादीशुदा" या "सह-आवास*" है, तो आवेदक को अपनी/पत्नी/पति/सह-आवास पार्टनर की आय और संपत्ति का व्यक्तिगत विवरण और जानकारी देने की ज़रूरत है।

[*केवल उन्हीं मामलों में लागू जहां आवेदक (i) एक ही घर में सह-आवास पार्टनर के साथ वर्तमान में रहता है; (ii) सह-आवास पार्टनर के साथ संसाधन साझा कर रहता है; और (iii) SWD को सह-आवास पार्टनर की व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी प्रदान करने पर सहमत है, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि आवेदक का सह-आवास पार्टनर को सामान्य वृद्धावस्था जीविका भत्ता/अधिक वृद्धावस्था जीविका भत्ता/अन्य भत्ता मिलता है या नहीं। इस प्रकार के आवेदन का "शादीशुदा जोड़ों के लिए वित्तीय संसाधन" के आधार पर साधन परीक्षा आकलन किया जाएगा।]

आवेदन करने की विधि

वृद्धावस्था भत्ता/विकलांगता भत्ता/वृद्धावस्था जीविका भत्ता आवेदक या उसका रिश्तेदार/दोस्त फोन, फ़ैक्स, ईमेल, डाक द्वारा या व्यक्तिगत तौर पर अपने निवास के निकट स्थित सोशल सेक्योरिटी यूनिट (SSFU) के पास सीधे आवेदन कर सकता है। अन्य किसी सरकारी विभाग या गैर-सरकारी संगठन द्वारा भी रेफरल के जरिए SWD को आवेदन किया जा सकता है। आवेदक SWD की वेबसाइट (http://www.swd.gov.hk) से "सोशल सेक्योरिटी भत्ता आवेदन फॉर्म" भी डाउनलोड कर सकता है और डाक द्वारा या व्यक्तिगत तौर पर SSFU को प्रासंगिक समर्थन दस्तावेज़ों की फोटो कॉपीज़ के साथ पूर्ण रूप से भरा आवेदन फॉर्म वापस लौटा सकता है।

ग्वांगडोंग योजना और फुजियन योजना के आवेदक को हांगकांग में व्यक्तिगत तौर पर आवेदन प्रक्रियाओं को पूरा करना चाहिए, और उससे पहले आवेदक को डाक द्वारा या व्यक्तिगत तौर पर सोशल सेक्योरिटी फील्ड यूनिट (ग्वांगडोंग योजना और फुजियन योजना) को दो हालिया तस्वीरों और सभी प्रासंगिक समर्थन

दस्तावेज़ों की फोटोकॉपीज़ के साथ "ग्वांगडोंग योजना और फुजियन योजना आवेदन फॉर्म" पूर्ण रूप से भर कर वापस लौटाना है।

ध्यान दें:

SWD में भत्ते के लिए आवेदक के संबंधित पात्र आयु (अर्थात 65 वां या 70 वां जन्मदिन) में पहुँचने से पहले एक माह के भीतर (ग्वांगडोंग योजना और फुजियन योजना के तहत वृद्धावस्था जीविका भत्ता/वृद्धावस्था भत्ता सहित) वृद्धावस्था जीविका भत्ता/वृद्धावस्था भत्ता के लिए आवेदन स्वीकार किए जाते हैं। इस व्यवस्था के तहत, (ग्वांगडोंग योजना और फुजियन योजना के तहत वृद्धावस्था जीविका भत्ता/वृद्धावस्था भत्ता सहित) वृद्धावस्था जीविका भत्ता/वृद्धावस्था भत्ता के लिए भुगतान की गणना आवेदक द्वारा पात्र आयु भरने की तिथि से की जाएगी जो पात्रता के सभी मानदंडों को पूरा करती हो।

पूछताछ

SSA योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया SWD की वेबसाइट (http://www.swd.gov.hk) या ग्वांगडोंग योजना की वेबसाइट (http://www.swd.gov.hk/gds) या फुजियन योजना की वेबसाइट (http://www.swd.gov.hk/fjs) पर जाएं। SSA के बारे में पूछताछ के लिए विभाग की हॉटलाइन सर्विस यूनिट (दूरभाष: 2343 2255, फ़ैक्स: 2763 5874) या निकटतम SSFU या सोशल सेक्योरिटी फील्ड यूनिट (ग्वांगडोंग योजना और फुजियन योजना) से संपर्क करें।

अक्तूबर 2020

Social Security Allowance Scheme

The Social Security Allowance (SSA) Scheme which is administered by the Social Welfare Department (SWD) includes Old Age Allowance, Normal Disability Allowance, Higher Disability Allowance, Normal Old Age Living Allowance, Higher Old Age Living Allowance, Guangdong Scheme and Fujian Scheme.

The SSA Scheme is non-contributory. Old Age Allowance and Disability Allowance are designed to provide a monthly allowance to Hong Kong residents who are 70 years of age or above or who are severely disabled to meet their special needs arising from old age or disability respectively. Normal Old Age Living Allowance and Higher Old Age Living Allowance are to provide a special allowance per month to supplement the living expenses of Hong Kong residents aged 65 or above who are in need of financial support. Guangdong Scheme and Fujian Scheme comprise Old Age Allowance, Normal Old Age Living Allowance and Higher Old Age Living Allowance respectively to provide monthly allowance for eligible Hong Kong residents who choose to reside in Guangdong (only applicable to Guangdong Scheme) or Fujian (only applicable to Fujian Scheme).

Applicants of Disability Allowance and Old Age Allowance (including Old Age Allowance under Guangdong Scheme and Fujian Scheme) under the SSA Scheme are not required to go through a means test.

Eligibility Criteria

A person is eligible for an allowance under the SSA Scheme if he/she:

(a) satisfies the following residence requirements:

(1) he/she must have been a Hong Kong resident for at least seven years; and

(2) he/she must have resided in Hong Kong continuously for at least one year immediately before the date of application (absence from Hong Kong up to a maximum of 56 days during the one-year period is treated as residence in Hong Kong).

Note: (i) Persons whose presence in Hong Kong is unlawful or persons who are permitted to stay in Hong Kong for a purpose other than residence (for example, imported workers or visitors) are excluded from the SSA Scheme.

(ii) Hong Kong residents aged below 18 applying for Disability Allowance are exempted from the residence requirements in (1) and (2) above.

(iii) In determining whether an applicant has resided in Hong Kong continuously for at least one year immediately before the date of application, consideration can be given to disregarding absences arising from full-time study (for Disability Allowance applicants only) or paid work outside Hong Kong during the one-year period, subject to there being sufficient documentary proof. Where an applicant has been absent from Hong Kong for more than 56 days during the one-year period because of the need to receive medical treatment outside Hong Kong, the Director of Social Welfare can consider exercising his discretion to disregard the absences exceeding the 56-day limit, subject to the reason for and evidence of receiving medical treatment outside Hong Kong being established.

(iv) Absence from Hong Kong means leaving Hong Kong for the Mainland, Macao or overseas countries/territories.

(b) continues to reside in Hong Kong (only applicable to Old Age Allowance/Disability Allowance/Old Age Living Allowance)/Guangdong (only applicable to Guangdong Scheme)/Fujian (only applicable to Fujian Scheme) during receipt of payment;

(c) is not in receipt of any other allowance under the SSA Scheme or assistance under the Comprehensive Social Security Assistance Scheme;

(d) is not being detained in legal custody or admitted to a penal institution; and

(e) fulfils the following eligibility criteria required by the individual allowance:

(1) Old Age Allowance

◆ he/she is aged 70 or above.

(2) Normal Disability Allowance

- ◆ he/she is certified by the Director of Health or the Chief Executive, Hospital Authority (or under exceptional circumstances by a registered medical practitioner of a private hospital) to be severely disabled; and
- ◆ his/her disabling condition will persist for at least 6 months.

(3) Higher Disability Allowance

- ◆ in addition to meeting the eligibility criteria for Normal Disability Allowance above, he/she must be certified by the Director of Health or the Chief Executive, Hospital Authority (or under exceptional circumstances by a registered medical practitioner of a private hospital) to be in need of constant attendance from others in his/her daily life; and
- ◆ he/she is not receiving care in residential institutions subsidised by the government (including subsidised places in subvented/contract homes and residential care homes under various bought place schemes) or all public hospitals and institutions under the Hospital Authority, or boarding in special schools under the Education Bureau.

(4) Normal Old Age Living Allowance

- ◆ he/she is aged 65 or above; and
- ◆ he/she and/or his/her spouse/cohabiting partner (if applicable) see note on page 4 has/have a monthly income and assets not exceeding the prescribed limits.

(5) Higher Old Age Living Allowance

- ◆ he/she is aged 65 or above; and
- ◆ he/she and/or his/her spouse/cohabiting partner (if applicable) see note on page 4 has/have a monthly income and assets not exceeding the prescribed limits.

(6) Guangdong Scheme

- ◆ he/she chooses to reside in Guangdong;
- ◆ if he/she is an authorised public rental housing tenant in Hong Kong, he/she is required to surrender his/her public rental housing unit or delete his/her name from the tenancy before leaving Hong Kong; and
- ◆ he/she fulfils the following eligibility criteria for Old Age Allowance/Old Age Living Allowance:

  (i) Old Age Allowance

  - ◆ he/she is aged 70 or above.

  (ii) Normal Old Age Living Allowance/Higher Old Age Living Allowance

  - ◆ he/she is aged 65 or above; and
  - ◆ he/she and/or his/her spouse/cohabiting partner (if applicable) see note on page 4 has/have a monthly income and assets not exceeding the prescribed limits.

(7) Fujian Scheme

- he/she chooses to reside in Fujian;
- if he/she is an authorised public rental housing tenant in Hong Kong, he/she is required to surrender his/her public rental housing unit or delete his/her name from the tenancy before leaving Hong Kong; and
- he/she fulfils the following eligibility criteria for Old Age Allowance/Old Age Living Allowance:

  (i) Old Age Allowance

  - he/she is aged 70 or above.

  (ii) Normal Old Age Living Allowance/Higher Old Age Living Allowance

  - he/she is aged 65 or above; and
  - he/she and/or his/her spouse/cohabiting partner (if applicable) see note on page 4 has/have a monthly income and assets <u>not</u> exceeding the prescribed limits.

Note: If an applicant's marital status is "Never Married", "Separated", "Divorced" or "Widowed", he/she is only required to provide his/her personal particulars and information on his/her own income and assets. If an applicant's marital status is "Married" or "Cohabiting*", the applicant is required to provide his/her spouse's/cohabiting partner's personal particulars and information on income and assets.

[*Only applicable to cases where the applicant (i) is currently living with a cohabiting partner in the same household; (ii) is living on shared resources with the cohabiting partner; and (iii) agrees to provide the personal and financial information of the cohabiting partner to the SWD, regardless of whether the applicant's cohabiting partner is/is not currently receiving the Normal Old Age Living Allowance/Higher Old Age Living Allowance/other allowance. Such application will be subject to the means test assessment based on the "Financial Resource Limits for Married Couples".]

How to Apply

An Old Age Allowance/Disability Allowance/Old Age Living Allowance applicant or his/her relative/friend can make an application directly with a social security field unit (SSFU) near to his/her place of residence by phone, by fax, by e-mail, by post or in person. An application may also be made through referral to SWD by another government department or a non-governmental organisation. The applicant can also download the "Social Security Allowance Application Form" from SWD's website (http://www.swd.gov.hk) and return the completed application form together with photocopies of relevant supporting documents to the SSFU by post or in person.

An applicant of Guangdong Scheme and Fujian Scheme must complete the application procedures in person in Hong Kong, prior to which the applicant is required to return the completed "Guangdong Scheme and Fujian Scheme Application Form" together with two recent photos and photocopies of all relevant supporting documents to the Social Security Field Unit (Guangdong Scheme and Fujian Scheme) by post or in person first.

Note:
SWD accepts application for Old Age Living Allowance/Old Age Allowance (including the Old Age Living Allowance/Old Age allowance under the Guangdong Scheme/Fujian Scheme) within one month prior to the applicant's reaching the respective qualifying age (i.e. the 65^{th} or 70^{th} birthday) for the allowance. Under this arrangement, the payment of Old Age Living Allowance/Old Age Allowance (including the Old Age Living Allowance/Old Age allowance under the Guangdong Scheme/Fujian Scheme) will be calculated from the date of applicant fulfils the qualifying age and satisfies all the eligibility criteria.

Enquiries

For more information about the SSA Scheme, please visit the SWD's website (http://www.swd.gov.hk) or Guangdong Scheme website (http://www.swd.gov.hk/gds) or Fujian Scheme website (http://www.swd.gov.hk/fjs). Enquiries about the SSA Scheme can be made to the Departmental Hotline Service Unit (Telephone no.: 2343 2255, Fax no.: 2763 5874) or the nearest SSFU or the Social Security Field Unit (Guangdong Scheme and Fujian Scheme).

October 2020